



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022026-269764
CG-DL-E-02022026-269764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2026/माघ 13, 1947

No. 436]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2026/MAGHA 13, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2026

का. आ. 465(अ.).— औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त संहिता" कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार को, ऐसी तारीख या भिन्न-भिन्न तारीखें, जिनसे उक्त संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हुए राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्त करती है ;

और उक्त संहिता की धारा 104 निम्नलिखित को निरसित करती है-

(क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16);

(ख) औद्योगिक नियोजन [स्थायी आदेश] अधिनियम, 1946 (1946 का 20); और

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14),

और केंद्रीय सरकार को संहिता की धारा (1) की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना के साथ एक अधिसूचना उसमें यथाकथित तारीख या तारीखों को नियत करते हुए, जारी करने के लिए सशक्त करती है;

और केंद्रीय सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित] अधिसूचना संख्या का.आ. 5320 (अ) द्वारा उक्त संहिता की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 21 नवंबर, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त संहिता के उपबंध प्रवृत्त होंगे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिसूचना तारीख 21 नवंबर, 2025 में आंशिक उपांतरण करते हुए तथा उक्त संहिता की धारा 1 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 104 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि-

- (क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16);
- (ख) औद्योगिक नियोजन [स्थायी आदेश] अधिनियम, 1946 (1946 का 20); और
- (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14),

के उपबंध उक्त संहिता की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना तारीख 21 नवंबर, 2025 में नियत तारीख से निरसित हो गए हैं।

[फा.सं. एस-11025/07/2025-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2026

S. O. 465(E).—WHEREAS, sub-section (3) of section 1 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) (hereinafter referred to as “the said Code”) empowers the Central Government to issue a notification in the Official Gazette appointing the date or different dates from which the different provisions of the said Code shall come into force;

AND WHEREAS, section 104 of the said Code repeals—

- (a) the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926);
- (b) the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946); and
- (c) the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),

and empowers the Central Government to issue a notification along with the notification under sub-section (3) of section 1 of the Code, appointing the date or dates as stated therein;

AND WHEREAS, the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, vide notification number S.O. 5320 (E), dated 21st November, 2025 [published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)], exercised its powers under sub-section (3) of section 1 of the said Code, appointing the 21st day of November, 2025 as the date on which the provisions of the said Code shall come into force;

NOW, THEREFORE, in partial modification of the said notification dated 21st November, 2025, and in exercise of the powers under section 104 read with sub-section (3) of section 1 of the said Code, the Central Government hereby specifies that the provisions of—

- (a) the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926);
- (b) the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946); and
- (c) the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),

stood repealed with effect from the date appointed in the notification dated 21st November, 2025 issued under sub-section (3) of section 1 of the said Code.

[F. No. S-11025/07/2025-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.